म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 2248/म.प्र.न.वि.वि.वि.आयोग/स्थापना/भोपाल   दिनांक 28/12/21

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथा संशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 172 वीं सभा दिनांक 24/12/2021 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम संजीव अग्रवाल ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल के मुख्य परिसर मे स्थित निम्नलिखित नवीन पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

Course Proposed by Sanjeev Agrawal Gloval University, Bhopal from 2021-22

S.No	Name of the course	Intake capacity	Ordinance no.
1	LLB (H)	120	37
2	LLM	30	45
3	BA (Language)	120	64
4	B. F. Sc.	120	61
5	M. F. Sc.	60	72
6	B. V. A.	120	62
7	M. V. A.	60	73
8	B. Pharm.	100	21
9	M. Pharm.	40	22
10	D. Pharm.	60	32
11	B. Tech. (PT)	300	86
12	M. Tech. (PT)	120	87
13	MBA (PT)	60	88

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. बी.सी.आई, पी.सी.आई, एआईसीटीई एवं संबन्धित विनियामक परिषदों के मापण्डडों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबन्धित विनियामक परिषदों की गाईडलाईन के अनुसार दिये जायेगें।
3. यू.जी.सी. बी.सी.आई, पी.सी.आई, एआईसीटीई एवं संबंधित विनियामक परिषदों द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाईन /मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
6. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक परिषदों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
7. यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।
8. पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरिक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(मा.अध्यक्ष, महो. द्वारा अनुमोदित)

28/12/2021

(डॉ. के.पी. साहू)
सचिव
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल

पृष्ठांकन........../ म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग/स्थापना/ भोपाल

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, संजीव अग्रवाल ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव
म०प्र०नि०वि०वि०वि०आयोग, भोपाल